



श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री रवेन्द्र नाथ राय के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना अमृतपुर/एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा आज दिनांक 24.06.2022 को थाना अमृतपुर के मु0अ0सं0- 71/22 धारा- 170/419/420 भादवि व 66 IT Act में प्रकाश में आये (अन्तर्जनपदीय गिरोह) के अभि0गण 1.सौरभ बाजपेई उर्फ संजय उर्फ रानू पुत्र शिव किशोर नि0 मो0 थोक कस्बा व थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर, 2.रामधार मौर्य पुत्र रामौतार नि0 किशुनपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर, 3.कुलदीप उर्फ चंद्र कुमार पाल पुत्र राम सहाय नि0 कुलुवा थाना मिश्रिख हालपता नहर चौराह मिश्रिख कस्बा व थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर को राजपुर तिराहा थाना अमृतपुर क्षेत्र से वादी मुकदमा श्री अनुभव अवस्थी से फोन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ का पी0आर0ओ0 बनकर थाना अमृतपुर के मु0अ0सं0-53/22 धारा 147/148/149/452/506/302/307/364/34 भादवि (पीयूष हत्याकाण्ड) में वांछित अभि0गण को पकड़ने के लिये दविश हेतु धोखाधड़ी से गूगल-पे द्वारा लिये गये 30000/- रुपये तथा 04 अदद एन्ड्राइड मोवाइल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता:-

1. सौरभ बाजपेई उर्फ संजय उर्फ रानू पुत्र शिव किशोर नि0 मो0 थोक कस्बा व थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।
2. रामधार मौर्य पुत्र रामौतार नि0 किशुनपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।
3. कुलदीप उर्फ चंद्र कुमार पाल पुत्र राम सहाय नि0 कुलुवा थाना मिश्रिख हालपता नहर चौराह मिश्रिख कस्बा व थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- धोखाधड़ी से दविश के नाम पर गूगल-पे द्वारा लिये गये 30000/- रुपये ।
- 2- घटना में प्रयुक्त 04 अदद एन्ड्राइड मोवाइल ।

अभियुक्त सौरभ बाजपेई उर्फ संजय उर्फ रानू आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 554/2004 धारा 406/419/420 भादवि थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
- 2-मु0अ0सं0 88/2016धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मल्लावां जनपद हरदोई
- 3-मु0अ0सं0221/2017 धारा 13G act थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
- 4-मु0अ0सं0284/2018 धारा 419,420 भादवि थाना इमिलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर
- 5- मु0अ0सं0 540/2019 धारा 13 G act थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
- 6-मु0अ0सं0 387/2020 धारा 13 G act थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
- 7- मु0अ0सं0-71/22 धारा 170/419/420 IPC व 66 IT Act थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त रामधार मौर्य आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0-71/22 धारा 170/419/420 IPC व 66 IT Act थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त कुलदीप उर्फ चन्द्रकुमार पाल आपराधिक इतिहास -

- 1- मु0अ0सं0-71/22 धारा 170/419/420 IPC व 66 IT Act थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री अनिल कुमार चौवे, 2-उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह, 3-उ0नि0 प्रमोद कुमार, 4-का0 मनोज कुमार,
- 5-का0 अमन चौधरी, 6-का0 नवीन कुमार, 7-म0का0 908 कीर्ती।

SOG टीम फतेहगढ़:-

- 1-उ0नि0 बलराज भाटी प्रभारी SOG
- 2-हे0का0 प्रवीण कुमार
- 3-का0 गोविन्द सिंह
- 4- का0 अजीत गौतम
- 5-रामू यादव
6. अमर नाथ शर्मा
7. कपिल
8. सचिन
9. मु0आ0चा0 अवधेश कुमार

सर्विलांस टीम फतेहगढ़:-

1. उ0नि0 श्री जयप्रकाश शर्मा प्रभारी सर्विलांस
- 2- हे0का0 करण यादव
- 3- का0 संदीप राव
- 4- का0 अनुराग कुमार
- 5-का0 अजय कुमार